उनवान–बीजला वगैरा बनाम मेहका वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 136/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 136/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. बीजला पुत्र हमीरा 2. भूरा पुत्र हमीरा 3. वगता पुत्र हमीरा जाति रबारी निवासी एकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. मेहका पुत्र भूता जाति भील निवासी एकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. मफा पुत्र उदा 3. जोगा जीवा 4. रूपा पुत्र जीवा 5. अणदा पुत्र रतना 6. कृष्ण पुत्र रतना 7. भला रतना पुरखा पुत्र रतना 8. मसरू पुत्र रतना जाति रबारी निवासी एकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 9. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा सेड़वा 10. तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :– श्री श्रीराम विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 01 के वकील– श्री मुकीम खान समेजा
विप्रार्थी संख्या 02 से 08 के वकील– श्री महिपालदान चारण

निर्णय

दिनांकः– 24.09.2025

प्रार्थीगण बीजला पुत्र हमीरा जाति रबारी निवासी एकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक काश्तकारी है एवं प्रार्थी संख्या 01 से 03 का खातेदारी एवं कब्जासुद खेत मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार मण्डल नवातला बाखासर, भू.अ.नि. क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 44 रकबा 4–7105 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थी... के घर मौजा एकल पटवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

उनवान–बीजला वगैरा बनाम मेहका वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 136/2024

मण्डल नवातला बाखासर केय गांव आबादी भूमि खसरा संख्या 65 में बने हुए है। प्रार्थीगण की ढाणी से जोत पर आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी का खेत मौजा एकल पटवार मण्डल नवातला बाखासर, भु.अ.नि. क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर खसरा संख्या 43 रकबा 21–9016 हैक्टेयर एवं विप्रार्थीगण संख्या 02 से 08 के खसरा संख्या 68 रकबा 0–1298 में से चलकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने–जाने हेतु कदीम रास्ता प्रार्थीगण के खेत एवं गांव की आबादी को भी जोड़ता है, जिसमें प्रार्थीगण के घर बने हुए है तथा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 43 से प्रार्थीगण के खेत से प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो ससे करते आ रहे हैं तथा यह एकमात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खेत मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार मण्डल नवातला बाखासर, भु.अ.निरीक्षक क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 44 रकबा 4–7105 हैक्टेयर के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है तथा झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहती है।

विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से आगे सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के अपने जोत में जाने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है तथा जिसके अभाव में प्रार्थीगण को अपनी ढाणी से जोत तक एवं गांव स्कूल अस्पताल आदि तक जाने में रूकावट पैदा होती है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थीगण रास्ते बाबत विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार मण्डल नवातला बाखासर, भु.अ.निरीक्षक क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 44 रकबा 4–7105 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत मौजा एकल पटवार मण्डल नवातला बाखासर, भु.अ.निरीक्षक क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 43 रकबा 21–9016 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 68 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा
(2)

0—1295 हैक्टेयर में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2024/2245 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/3191 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकीम खान समेजा, विप्रार्थी संख्या 02 से 08 की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण ने वकालतलनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.08.2024 के अनुसार प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	मेहकाराम पुत्र भुताराम जाति भील साकिन एकल खातेदार	43	21—9016	20 फीट	0—0405 हैक्टेयर	एकल	बारानी सोयम
2.	अणदाराम, कृष्णराम, पुरखाराम, भलाराम पिता रतनाराम, मसरू पत्नी रतनाराम, जोगाराम पुत्र जीवाराम, मफाराम पुत्र उदाराम, रूपाराम पुत्र जीवाराम कौम रबारी साकिन खातेदार	68	0—1295	20 फीट	0—0971 हैक्टेयर	एकल	बारानी सोयम

प्रार्थीगण बीजला वगैरा द्वारा खसरा नंबर 68 के समीप खसरा नंबर 43 में से रास्ता चाहा गया है, जहां पर खातेदार मेहकाराम व उसके पुत्र की ढाणियां(आवास), टांका स्थित है। पूर्व में खसरा नंबर 68 में से आवागमन था, परन्तु [illegible] नंबर 44 प्रार्थीगण 524/44 के खातेदारों के साथ अन्य रास्ते के विवाद के कारण उक्त [illegible] बंद है। संलग्न नक्शा परिशिष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

'अ' मौका स्थिति अंकित है तथा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित रास्ता है। रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता लघुतम है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। उपस्थित मोतबरान ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने न्यायालय में दिनांक 07.01.2025 को लिखित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी राजस्व आवेदन में आंशिक संशोधन के लिए प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	मेहकाराम पुत्र भुताराम जाति भील साकिन एकल खातेदार	43	21–9016	20 फीट	0–0405 हैक्टेयर	एकल	बारानी सोयम
2.	अणदाराम, कृष्णराम, पुरखाराम, भलाराम पिता रतनाराम, मसरू पत्नी रतनाराम, जोगाराम पुत्र जीवाराम, मफाराम पुत्र उदाराम, रूपाराम पुत्र जीवाराम कौम रबारी साकिन खातेदार	68	0–1295	20 फीट	0–0971 हैक्टेयर	एकल	बारानी सोयम

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते [illegible] राशि का समाधान नहीं होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित वर्तमान दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2024/3191 दिनांक 24.10.2024 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 16.08.2024 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी की वर्तमान दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदा सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 मय फर्द दिनांक 16.08.2024 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी :—

1. **तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रतावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू)वर्तमान डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।**
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित वर्तमान दरों की दो गुना के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट [illegible] वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा की [illegible] के उपरान्त ही स्वयं द्वारा

सहायक कलक्टर सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 24.09.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा दिनांक 16.08.2024 निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

24/09/2025

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

(6)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

उनवान बीजला वगैरह बनाम मेहकाराम वगैरह
राजस्व आवेदन सं: 136/2024

प्रकरण कोर्ट
सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ....हैलासिंह.... (नाम) ~~भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त~~ नायब तहसीलदार- सेड़वा ...., कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा.... के आदेश कमांक ..2654-55.. दिनांक 13/08/24 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 16/08/24 समय 3:00 बजे आराजी खसरा नम्बर-....43.... वाके ग्राम ....एकल.... पटवार मंडल ....नवातला बाखासर.... श्री ....रुपाराम.... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 2660 दिनांक 13/08/2024 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	बीजलाराम	हमीरराम	65	रबारी	प्रार्थी
02.	मेहकाराम	भूताराम	60	भील	अप्रार्थी
03.	जोगाराम	जीवाराम	61	रबारी	—
04.	नूराराम	हमीरराम	58	रबारी	प्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	ख.सं.	रकबा (है०)	रास्ते की चौड़ाई	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	ग्राम	रास्ते में समाविष्ट भूमि कीमत	भूमि किस्म
01	मेहकाराम पुत्र भूताराम भील सा. एकल खातेदार	43	21.9016	20 फीट	0.0405 है०	एकल		बारानी सोयम
02	अगदाराम, कृष्णाराम, पुनमाराम, भलाराम पि. रतनाराम, मसरू पत्नी रतनाराम, जोगाराम पुत्र जीवाराम, मफाराम पुत्र उदाराम, रूपाराम पुत्र जीवाराम कौम रबारी सा. देह खातेदार	68	0.1295	20 फीट	0.0971 है०	एकल		बारानी सोयम

नोट:- प्रार्थीगण [illegible] द्वारा ख०न० 68 के समीप [illegible] है जबकि जहां पर [illegible] पुत्र की ढाणीया (आवास), टांका [illegible] ख. न. 68 में से आवागमन था परन्तु [illegible] ख. न. 44 (प्रार्थी [illegible]) 524/44 के खातेदारों के साथ अन्य विवाद रास्ते के विवाद के कारण उक्त रास्ता बन्द है। संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' मौका स्थिति अंकित है तथा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित रास्ता है। रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता लघुतम है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है।

[signature] 16/8/24

नायब तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	बीजलाराम	हमीराराम	65	रबारी	प्रार्थी
02.	मेहराराम	भूराराम	60	भील	विप्रार्थी
03.	भूराराम	हमीराराम	58	रबारी	प्रार्थी
04.	जोगाराम	जीवाराम	61	रबारी	—

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.	
01.	मल्लाराम	पगलाराम	26	रबारी	एकल	मल्लाराम
02	बधाराम	लालाराम	30	रबारी	ओगाला	बधाराम

मौका रिपोर्ट के क्रमांक 02 पर अंकित खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार आज दिनांक 16/08/24 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

16/08/24
हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं. नवातला

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

16/8/24
NT Sedwa

C.S.

24/X/24
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

आंशिक नक्शा किश्तवार
मौजा - एकलू व रामडेरिया पश्चिम
तह. - सेड़वा
पैमाना - 8" = 80 आर(?)

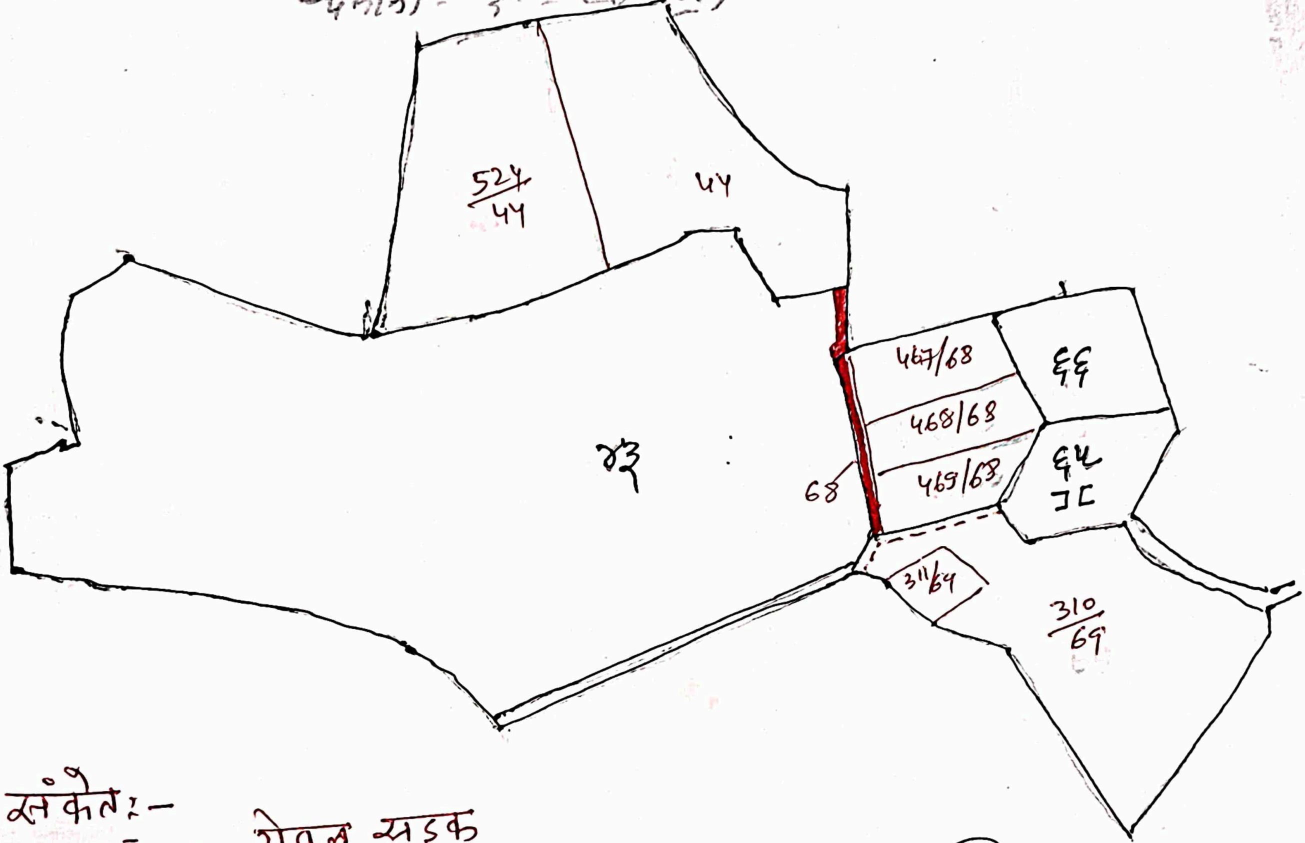

संकेत :-
- - - - - ग्रेवल सड़क
▬▬ - प्रस्तावित रास्ता

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

19/09/24
खेताराम
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल ...... रामडेरिया
तहसील सेड़वा

16/08/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा